

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 28/2017

प्रार्थी:-
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली


बनाम

अप्रार्थीगण :-

1 विनोद भाटी पुत्र ज्ञानेश्वर भाटी,
मैसर्स एम.एम. फूड प्रोडक्ट्स,
जाडन जागीर तहसील मारवाड़
जंक्शन जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006
उपस्थित :-

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।



:- निर्णय :-

दिनांक 25/9/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा न तो किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया तथा न ही नियत तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध इसप्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 24.05.2016 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स एम.एम. फूड प्रोडक्ट्स, जाडन जागीर से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए Sweetened Carbonates Beverages (Green Lemon Brand Cold Fire) में से 12 Sweetened Carbonates Beverages (Green Lemon Brand) की मूल बोटलों को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा 12 बोटलों को चार भागों में कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-530 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा नमूने के रूप में लिये गये दही को Sub Standard का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standard and Misbranded Under Section 3(1)(ZF)(C)(i) स्तर के Sweetened Carbonates Beverages (Green Lemon Brand Cold Fire) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.05.2016 को अप्रार्थी की फर्म से Sweetened Carbonates Beverages (Green Lemon Brand Cold Fire) के नमूने को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-530 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./672/एक्ट/2016/707 दिनांक 22.06.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-530 को sub Standard and Misbranded स्तर का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अमानक स्तर की खाद्य वस्तु Sweetened Carbonates Beverages (Green Lemon Brand Cold Fire) का विनिर्माण/विक्रय/भण्डारण करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी पर 3,00,000/- अक्षरे तीन लाख रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/09/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली